न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 2017 निगरानी

अनूप सिह पुत्र हजारा सिंह निवासी–
अशोक नगर हाल निवासी अखाई कृष्ण
तहसील शाडोरा जिला अशोकनगर

निगरानी कर्ता/आवेदक

बनाम

1. जोगेन्दरसिंह पुत्र हजारासिंह
2. गुरूमुख सिंह पुत्र हजारासिंह
3. सुखचेन पुत्र इंदरसिंह
4. दर्शनसिंह पुत्र इंदर सिह
5. सुखदेवसिंह पुत्र इंदर सिंह
6. करनेलसिंह पुत्र इंदरसिंह
7. जरनलसिंह पुत्र इंदरसिंह

मृत सतपाल पुत्र हजारासिंह
फोत के वारिसान निम्नानुसार है

8. भगवत कौर वेवा सतापालसिह
9. नरेन्द्र पुत्र सतपालसिंह
10. गुरूप्रीत पुत्र सतपालसिंह
11. प्रगटसिंह पुत्र सतपालसिंह
12. कुलवंतसिंह पुत्र इंदरसिह

समस्त जाति सिक्ख धंधा खेती
निवासीजन ग्राम छैलाबाग अशोकनगर
जिला अशोकनगर म0प्र0

13. श्रीकांत त्रिपाठी पुत्र श्री
शिवप्रकाश त्रिपाठी निवासी

पछारी खेड़ा रोड़ शनि मंदिर

के पास अशोकनगर जिला

अशोकनगर म.प्र. -

प्रतिनिगरानीकर्ता/अनावेदकजन

निगरानी/आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959 अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अशोक नगर के प्रकरण क्र. 115 अपील/15-16 मे पारित आदेश दिनांक 10.08.2017 एवं दिनांक 02.08.2017 के निरस्ती बावत्।

माननीय महोदय,

सेवा में आवेदक की ओर से निगरानी मेगो निम्नानुसार पेस है।

1. यहकि, अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के प्रकरण क्र 115 अपील/15-16 मे पारित आदेश दिनांक 10.08.2017 विधि व राजस्व नियमो के विपरित होने से निरस्ती योग्य है।

2. यहकि, प्रकरण की वस्तु स्थिति इस प्रकार है कि माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर एवं श्रीमान के आदेशो के आलोक मे अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अशोकनगर द्वारा भूमि अवस्थित ग्राम छैलाबाग स्थित भूमि सर्वे नम्बर 179, 180, 181, 196/2, 196/1 199, 225 कुल किता 7 कुल रकवा 13.697 हैक्टेयर के संबंध में प्रकरण क्र. 24अ27/2010-11 मे बटवारा दिनांक 14.09.2016 को विधिवत सुनवाई उपरांत स्वीकार किया गया व सुनवाई जिसका राजस्व अभिलेखो मे अमल किया गया प्रकरण क्र 24अ27/2010-11 मे बटवारा दिनांक 14.09.2016 के निरस्ती हेतु अनावेदनजन क्र. 1 लगायत 12 ने अधिनस्थ अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के यहा अपील असत्य आधारो पर पेस की जिसमें अनावेदकजन ने पक्षकारो को असंयोजन व कुसंयोजन के दोष के आधार पर प्रस्तुत अपील अधिनस्थ अनुविभागीय अधिकारी अपील मेमो एवं वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड का अविलोकन किये बिना प्रकरण सुनवाई चालू की तथा बाद आवेदक उपस्थिति अपीलार्थी यानि की अनावेदकजन क्र. 1 लगायत द्वारा एक ही विषय वस्तु पर विभिन्न न्यायालयो मे दावा दायरी संबंधी जानकारी बावत् आवेदन पेस किया

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-तीन/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2017/2612

अनूप सिंह विरूद्‌ध जोगेन्दर सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्‌वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक:-115/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 10/08/2017 एव 02/08/2017 के विरूद्‌ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 05/8/19 को कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (3) (आर0के0 जैन) 17/6/19 सदस्य	